	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 28, बुधवार, *शाके* 1941–मार्च 18, 2020 *Phalguna 28, Wednesday, Saka 1941–March 18, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 28, 2020

No. F. 2(6)Vidhi/2/2020.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 27th day of February, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2020
(Act No. 2 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 27th day of February, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 16th December, 2019.

2. Amendment in section 19-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 19-A of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961),-

(i) for the existing heading "Kisan Kalyan Kosh", the heading "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;

(ii) in sub-sections (1) and (2), for the existing expression "Kisan Kalyan Kosh" wherever occurring, the expression "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2) for the existing punctuation mark "." occurring at the end of clause (j), the punctuation mark ";" shall be substituted and after the clause (j) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

" (k) to promote any other activities connected with the farmers' welfare with the prior approval of the Government." ; and

(iv) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

" (4) The Board may raise fund from any other sources with the prior approval of the Government.".

3. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 3 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2020

संख्या प.2(6)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 2 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 2)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 16 दिसम्बर, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 19क का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 19क में,-

(i) विद्यमान शीर्षक "किसान कल्याण कोष" के स्थान पर शीर्षक "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसान कल्याण कोष", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (2) में खण्ड (ञ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ट) सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।"; और

(iv) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।